रजिस्ट्री सं. डी (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 1988/अग्रहायण 10, 1910
No. 258] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 1988/AGRAHAYANA 10, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 83-आई टी सी (पी एन)/88-91

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1988

विषय :— 1988-89 के दौरान लौंग तथा दालचीनी/तेजपात के आयात के लिए लाइसेंस प्रदान करना।

फा. सं. आईपीसी/4/10/30/733/76-80 :—लौंग तथा दालचीनी/तेजपात के आयात के संबंध में आयात निर्यात नीति अप्रैल 1988-मार्च 1991 के पैरा 155क की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसे वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 42-आईटीसी (पीएन)/88-91 दिनांक 29 नवम्बर, 1988 द्वारा समाविष्ट किया गया था।

2. पूर्वोक्त प्रावधानों के अनुसार उन सभी को लाइसेंस दिए जाएंगे जिन्होंने चालू वर्ष या पिछले पांच वर्षों में किसी भी वर्ष के दौरान लौंग तथा दालचीनी/तिजपात का आयात किया हो। वे वास्तविक उपभोक्ता जिन्होंने पहले आयात नहीं किया है, भी लाइसेंस पाने के लिए पात्र होंगे। ऐसे आवेदकों के मामले में जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्षों में आयात किया है, लाइसेंस संबद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा 1983-84 से आगे के वर्षों में से किसी भी वर्ष के दौरान किए गए आयातों के मूल्य के 25 प्रतिशत के आधार पर आवेदक द्वारा किए गए दावे के अनुसार अधिकतम 1 लाख (एक लाख) रुपये की शर्त के अध्यधीन जारी किए जाएंगे। ऐसे वास्तविक उपभोक्ताओं के मामले में जिन्होंने भूतकाल में आयात नहीं किए हैं, परन्तु उनके पास विचाराधीन मद (मदों) की खपत है, उनको संबद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा 1983-84 से आगे के वर्षों की अवधि में से किसी भी वर्ष के दौरान भूतकालीन वार्षिक खपत के 25 प्रतिशत के आधार पर आवेदक द्वारा किए गए दावे के अनुसार अधिकतम 1 लाख (एक लाख) रुपये की शर्त के अधीन लाइसेंस दिए जाएंगे। इस प्रावधान के तहत आयात लाइसेंसों का न्यूनतम मूल्य 5000 (पांच हजार) रुपये होगा।

3. जिन मामलों में आयातों का 25 प्रतिशत एक लाख रुपये से अधिक हो गया हो, उनमें एक लाख रुपये के लाइसेंस संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किए जायेंगे और बकाया मूल्य के लिए आवेदन मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात नई दिल्ली को गुणावगुण के आधार पर विचार करने और लाइसेंस जारी करने के लिए भेजे जायेंगे।

4. आवेदन पत्र सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजने हैं। वास्तविक उपभोक्ता सनदी लेखापाल या लागत लेखापाल के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित "के" में पूर्वोक्त वर्षों में से किसी भी वर्ष में आयातित और देशज मद (मदों) के अलग-अलग उपभोग को दर्शाते हुए आवेदन करेंगे। आयात-निर्यात नीति और प्रक्रिया पुस्तक के अधीन यथा अपेक्षित वैध औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए। ऐसे आवेदनों को प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अपेक्षित नहीं होगा। अन्य पात्र आयातकों से आवेदन पत्र सनदी लेखापाल या लागत लेखापाल के प्रमाण पत्र के साथ आवेदक द्वारा स्वयं के नाम पर पूर्वोक्त वर्षों में से किसी भी वर्ष के दौरान किए गए आयात के लागत बीमा भाड़ा मूल्य को दर्शाते हुए प्रपत्र "के" में भेजे जाने चाहिए। आयात के विवरण में प्रविष्टि बिलों की तारीख और संख्या तथा निकासी करने वाले सीमाशुल्क कार्यालय का नाम भी होगा ताकि लाइसेंसिंग प्राधिकारी किए गए आयातों का पश्च सत्यापन कर सके। मूल प्रविष्टि बिल के साथ एक फोटो प्रति भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत का जानी चाहिए। आवेदन पत्र संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को फरवरी, 1989 की अन्तिम तारीख को या इस से पहले भेज दिए जाने चाहिए।

के. वी. हरनीरामा,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 83-ITC (PN) |88-91

New Delhi, the 1st December, 1988.

Sub : Grant of licences for import of Cloves and Cinnamon|Cassia during 1988-89.

F. No. IPC|4|10|30|733|79-80 :—Attention is invited to Paragraph 155A of the Import and Export Policy April 1988—March 1991 incorporated vide

Ministry of Commerce Public Notice No. 82-ITC (PN)/88-91 dated the 29th November, 1988, regarding import of cloves and Cinnamon/Cassia.

2. In terms of the aforesaid provision, licences will be granted to all those who have imported Cloves and Cinnamon/Cassia during the current year or in any of the last five years. Actual Users who have no past imports will also be eligible for licence. Licences in the case of applicants having past imports will be issued by the licensing authority concerned on the basis of 25 per cent of the value of imports made in any year during the period from 1983-84 onwards, as claimed by the applicant, subject to a maximum of Rs. 1 lakh (Rupees One Lakh). In the base of Actual Users who have no past imports, but have consumption of the item(s) in question, they will be granted licences by the licensing authority concerned on the basis of 25 per cent of the past annual consumption in any year during the period from 1983-84 onwards, as claimed by the applicant, subject to a maximum value of Rs. 1 lakh (Rupees One Lakh). Import licences issued under this provision will have a minimum value of Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand).

3. In cases where 25 per cent of the imports works out to more than Rs. 1 lakh (Rupees One Lakh), licences for Rs. 1 lakh (Rupees One Lakh) will be issued by the concerned licensing authority and for the balance value, the application will be forwarded to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, for consideration and issue of licence on merits.

4. Applications are to be made to the licensing authority concerned Actual Users shall apply in Form 'A' supported by a certificate of Chartered Accountant or Cost Accountant, indicating consumption separately of imported and indigenous item(s), in any of the aforesaid years A certified copy of valid industrial licence/registration certificate should also be furnished as required under the Import and Export Policy and Hand Book of Procedures. Such applications will not require to be routed through the sponsoring authority. Application from other eligible importers are to be made in Form 'K' accompanied by a certificate of Chartered Accountant or Cost Accountant indicating the c.i.f. value of imports made by the applicant in his own name during any of the aforesaid years. The statement of imports will also give the numbers and dates of bills of entry and the name of Customs House of clearance to enable the licensing authority to carry out post-verification of imports made. The bills of entry in original alongwith a photocopy should also be furnished alongwith the application. Applications should be made to the licensing authority concerned on or before the last date of February, 1989.

K. V. IRNIRAYA, Chief Controller of Imports & Exports

Printed by the Manager Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988